



Neutral Citation No. - 2026:AHC:125937

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत प्रार्थना पत्र संख्या - 14507 वर्ष 2026

तौकीर रजा खान

.....आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....विपक्षी

आवेदक के अधिवक्ता : सीताराम यादव, वरिष्ठ अधिवक्ता

विपक्षी के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 4

माननीय अरुण कुमार सिंह देशवाल, न्यायमूर्ति

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री सीताराम यादव की ओर से उपस्थित अधिवक्ता श्री आशीष कुमार सिंह, राज्य के लिए विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता श्री परितोष कुमार मालवीय एवं श्री नितेश कुमार श्रीवास्तव को सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।
2. वर्तमान जमानत प्रार्थना पत्र आवेदक को मुकद्दमा अपराध संख्या 1146 वर्ष 2025, धारा 190, 191(2), 191(3), 124(2), 121, 125, 352, 351(3), 109, 299, 223, 61(2) बी.एन.एस. और धारा 7 सी.एल.ए. अधिनियम, पुलिस थाना बारादरी, जिला बरेली के अंतर्गत विचारण के दौरान जमानत पर रिहा करने की प्रार्थना के साथ दायर किया गया है।
3. अभियोजन पक्ष की कहानी के अनुसार, दिनांक 26.09.2025 को 23:55 बजे एक प्रथम सूचना रिपोर्ट इस आरोप के साथ दर्ज की गई थी कि वर्तमान आवेदक जो इतेहाद मिल्लत काउंसिल (संक्षेप में 'आई.एन.सी.') के अध्यक्ष हैं, ने दिनांक 19.05.2025 को आयोजित एक सार्वजनिक अस्वीकरण:-अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



सभा में मुस्लिम समुदाय के सदस्यों को राज्य सरकार द्वारा उनके खिलाफ दर्ज किए जा रहे झूठे मुकदमों तथा उन पर हो रहे अत्याचारों के विरोध में इस्लामिया इंटर कॉलेज के मैदान में इकट्ठा होने के लिए प्रेरित करते हुए एक आह्वान किया था। प्रशासन ने दिनांक 25.09.2025 को इस सूचना के संज्ञान के बाद, बरेली में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 (जिसे इसके बाद बी.एन.एस.एस. 2023 कहा गया है) की धारा 163 के तहत एक सार्वजनिक स्थान पर 5 या अधिक व्यक्तियों के इकट्ठा होने पर प्रतिबंध लगाने वाला आदेश जारी किया। उपरोक्त के बावजूद, लगभग 200-250 लोग आवेदक द्वारा दिए गए आह्वान के आधार पर इस्लामिया इंटर कॉलेज की ओर बढ़ने लगे और जब पुलिस ने उन्हें रोकने का प्रयास किया, तो उन्होंने "सर तन से जुदा" जैसे भड़काऊ नारे लगाने के साथ-साथ सरकारों के खिलाफ नारे लगाने शुरू कर दिए और पुलिस दल पर पथराव और पेट्रोल बम फेंकने शुरू कर दिए तथा उन पर गोलीबारी की, जिसमें कई पुलिस कर्मियों को चोटें आईं। उस घटना में सार्वजनिक संपत्ति भी नष्ट की गई। जब पुलिस ने बल प्रयोग कर भीड़ को नियंत्रित करना शुरू किया, तो वे मौके से भागने लगे। इस घटना ने बरेली में जीवन की लय को बाधित कर दिया। इसके अलावा, सार्वजनिक संपत्ति भी नष्ट हो गई। 28 नामजद आरोपियों के खिलाफ प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई है, जिसमें 200-250 अज्ञात व्यक्ति शामिल हैं।

4. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट में आवेदक का नाम नहीं था और इस बात की कोई ठोस सामग्री नहीं होने के बावजूद उसे फंसाया गया है कि उसने भीड़ को इस्लामिया इंटर कॉलेज में इकट्ठा होने या आगजनी करने या सार्वजनिक संपत्ति को नष्ट करने के लिए प्रेरित किया या उकसाया। यह भी प्रस्तुत किया गया है कि एक वायरल वीडियो यह दर्शाता है कि आवेदक ने मुस्लिम समुदाय के किसी भी सदस्य को नहीं उकसाया। इसके अतिरिक्त, यह तर्क दिया गया है कि आवेदक को सार्वजनिक संपत्ति को नष्ट करने के भीड़ के किसी भी इरादे की जानकारी नहीं थी। आवेदक ने 24 मामलों से जुड़े अपने आपराधिक इतिहास का स्पष्टीकरण दिया है और वह दिनांक 14.10.2025 से जेल में है। यह भी प्रस्तुत किया गया है कि पुलिस पहले ही आरोप पत्र दाखिल कर चुकी है, जिससे आगे हिरासत में पूछताछ की आवश्यकता समाप्त हो जाती है। अधिवक्ता आश्वस्त करते हैं कि, यदि जमानत पर रिहा किया जाता है, तो आवेदक दी गई स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा और विचारण की कार्यवाही में पूर्ण सहयोग करेगा।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



5. दूसरी ओर, राज्य के विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने जमानत की प्रार्थना का विरोध किया और प्रस्तुत किया कि प्रत्यक्षदर्शी लियाकत अली, जिसके नाम से आवेदक के आदमी द्वारा एक फर्जी पत्र जारी किया गया था कि दिनांक 26.09.2025 की बैठक रद्द कर दी गई है, ने स्पष्ट रूप से कहा कि उसने दिनांक 19.01.2025 को बेग मैरिज हॉल, बरेली में आयोजित बैठक में भाग लिया था, जहां आवेदक ने लोगों को उकसाया कि सरकार मुस्लिम समुदाय पर अत्याचार कर रही है, इसलिए, उन्हें खुलकर प्रदर्शन करना चाहिए और दिनांक 26.09.2026 को इस्लामिया इंटर कॉलेज में इकट्ठा होना चाहिए और यदि आवश्यक हो तो उन्हें आगजनी और सार्वजनिक संपत्ति को नष्ट करने में भी शामिल होना चाहिए, और यदि कोई उन्हें रोकता है, तो उन्हें उन पर हमला भी करना चाहिए। उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि आवेदक ने न केवल लोगों को प्रेरित किया, बल्कि उन्हें दिनांक 26.09.2026 को इस्लामिया इंटर कॉलेज के मैदान में इकट्ठा होने के लिए भी कहा, और मुस्लिम समुदाय के लोगों को किसी भी हद तक जाने के लिए उकसाया, यदि कोई उन्हें रोकने का प्रयास करता है। यह भी प्रस्तुत किया गया है कि प्रत्यक्षदर्शी लियाकत अली ने यह भी कहा कि फिर से, नासिर के घर पर एक बैठक आयोजित की गई थी, जहां वर्तमान आवेदक ने फिर से मुस्लिम समुदाय को दिनांक 26.09.2026 को किसी भी कीमत पर इकट्ठा होने के लिए उकसाया, और यदि कोई उन्हें रोकता है, तो वे पुलिस दल पर हमला करेंगे और सार्वजनिक संपत्ति को नष्ट करेंगे। यह भी प्रस्तुत किया गया है कि दिनांक 26.09.2026 की हिंसा के बाद, वर्तमान आवेदक द्वारा फरहाद नामक व्यक्ति के घर से एक वीडियो क्लिप के माध्यम से एक धन्यवाद भाषण भी प्रसारित किया गया था, जिसमें उसने सार्वजनिक संपत्ति को नष्ट करने और प्रदर्शन को सफलतापूर्वक आयोजित करने के लिए मुस्लिम समुदाय के सदस्यों के प्रति अपना धन्यवाद व्यक्त किया।
6. अंत में विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता द्वारा यह प्रस्तुत किया गया है कि वर्तमान आवेदक बरेली दंगे की हिंसा के साथ-साथ प्रश्नगत घटना का मुख्य षड्यंत्रकारी है, इसलिए, यदि एक भीड़ जिसे आवेदक द्वारा किसी विशेष स्थान पर इकट्ठा होने के लिए प्रेरित किया गया था, तो यदि उस भीड़ द्वारा इकट्ठा होने की प्रक्रिया के दौरान कोई अपराध किया जाता है, तो बी.एन.एस. 2023 की धारा 190, 191(2), 61(2) के दृष्टिगत, आवेदक भी उस कृत्य के लिए उत्तरदायी होगा। यह भी प्रस्तुत किया गया था कि यद्यपि कुछ सह-आरोपियों को जमानत दे दी गई थी, लेकिन उनका मामला वर्तमान आवेदक से भिन्न था क्योंकि वर्तमान आवेदक

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



इस्लामिया इंटर कॉलेज की ओर बढ़ते समय किसी के द्वारा रोके जाने पर मुस्लिम समुदाय के सदस्यों को आगजनी में शामिल होने, सार्वजनिक संपत्ति को नष्ट करने, पुलिस दल पर हमला करने के लिए उकसाने और प्रेरित करने का मुख्य षड्यंत्रकारी है, इसलिए, आवेदक गुण-दोष के रूप में समानता के आधार पर जमानत पर रिहा होने का हकदार नहीं है। उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि आवेदक धर्म के नाम पर कानून और व्यवस्था की कीमत पर भी अवैध गतिविधियों में शामिल होने के लिए मुस्लिम समुदाय के लोगों को उकसाकर इसी प्रकार के अपराधों का आदतन अपराधी है।

7. मामले के संपूर्ण तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करते हुए और अभिलेखों के अवलोकन पर, यह निर्विवाद है कि आवेदक ने दिनांक 19.09.2025 को आयोजित एक सार्वजनिक सभा में मुस्लिम समुदाय के कई युवाओं को उन पर हो रहे अत्याचारों के लिए इस्लामिया इंटर कॉलेज में इकट्ठा होने और जिला मजिस्ट्रेट को ज्ञापन सौंपने के लिए प्रेरित किया। यह भी निर्विवाद है कि मुस्लिम समुदाय के सदस्यों की भीड़, बी.एन.एस.एस. 2023 की धारा 163 लागू होने के बावजूद इस्लामिया इंटर कॉलेज की ओर बढ़ते समय, पुलिस द्वारा रोके जाने पर, वह आगजनी में शामिल हो गई और उसने पथराव करना, पेट्रोल बम फेंकना और सार्वजनिक संपत्ति को नष्ट करना शुरू कर दिया, जिसमें कई पुलिस कर्मियों को चोटें पहुंचाना शामिल है। प्रत्यक्षदर्शी का बयान और वीडियो क्लिप भी दर्शाते हैं कि आवेदक वह मुख्य व्यक्ति था जिसने भड़काऊ भाषण के माध्यम से इन लोगों को इस्लामिया इंटर कॉलेज में इकट्ठा होने के लिए प्रेरित किया और उसे पता था कि पैगंबर मोहम्मद के नाम पर उसके द्वारा उकसाई गई एक अत्यधिक भावनात्मक और अस्थिर भीड़ आगजनी, दंगे का सहारा ले सकती है और पुलिस कर्मियों पर हमला कर सकती है तथा सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचा सकती है, यदि उन्हें पुलिस द्वारा रोका जाता है। इसलिए, भीड़ द्वारा किए गए अपराध के लिए, आवेदक भारतीय नागरिक संहिता 2023 (जिसे इसके बाद बी.एन.एस. 2023 कहा गया है) की विभिन्न धाराओं के तहत अपराधों के लिए मुख्य षड्यंत्रकारी होने के नाते भी उत्तरदायी होगा। आवेदक को ऐसे अवैध कृत्यों के लिए उसके दायित्व से मुक्त नहीं किया जा सकता है। न्यायालय को आपराधिक जमानत प्रार्थना पत्र संख्या **43604** वर्ष **2025** में रिहान बनाम उत्तर प्रदेश राज्य के मामले में एक समान मुद्दे पर विचार करने का अवसर मिला, जिसमें न्यायालय ने यह प्रेक्षण किया कि सार्वजनिक संपत्ति को नष्ट करना, पुलिस दल पर हमला करना और "सर तन से जुदा" जैसे नारे लगाना कानून के

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



प्राधिकार को चुनौती देने के समान होगा। रिहान के मामले (उपरोक्त) का अनुच्छेद संख्या 12 नीचे उद्धृत किया जा रहा है-

"12. उपरोक्त विश्लेषण के दृष्टिगत, यह स्पष्ट है कि किसी व्यक्ति या भीड़ द्वारा लगाया गया नारा "गुस्ताख-ए-नबी की एक सजा, सर तन से जुदा, सर तन से जुदा" कानून के प्राधिकार के साथ-साथ भारत की संप्रभुता और अखंडता के लिए एक चुनौती है क्योंकि यह लोगों को सशस्त्र विद्रोह के लिए उकसाता है, इसलिए, यह कृत्य न केवल बी.एन.एस. की धारा 152 के तहत दंडनीय होगा बल्कि इस्लाम के मूल सिद्धांतों के भी विरुद्ध है।"

8. सर्वोच्च न्यायालय ने दिनांक 02.06.2026 को निर्णित एस.एल.पी. (आपराधिक) संख्या **896** वर्ष **2026** में पंजाब राज्य बनाम बलराज सिंह उर्फ बिल्ला के मामले में अपने एक हालिया निर्णय में प्रेक्षण किया कि किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत स्वतंत्रता भारत की संप्रभुता और अखंडता पर हावी नहीं हो सकती है।
9. साम्प्रदायिक सौहार्द भारत जैसे लोकतांत्रिक राष्ट्र का आधार है। राजनीतिक लाभ के लिए धार्मिक आधार पर विभाजन भड़काने के लिए आवेदक जैसे व्यक्तियों को अनुमति देना देश के सामाजिक ताने-बाने को छिन्न-भिन्न करने का खतरा पैदा करता है और राष्ट्रीय अखंडता के लिए एक गंभीर जोखिम उत्पन्न करता है।
10. वर्तमान मामले में, आवेदक ने दो अवसरों पर, दिनांक 19.05.2025 को नासिर के घर पर और बेग मैरिज हॉल में, भीड़ को किसी भी कीमत पर इकट्ठा होने और इस्लामिया इंटर कॉलेज की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित किया। इसी तरह के मामलों में आवेदक के विस्तृत आपराधिक इतिहास को ध्यान में रखते हुए, एक महत्वपूर्ण जोखिम है कि, यदि रिहा किया जाता है, तो वह एक बार फिर किसी विशेष समुदाय को भड़का सकता है और शांति और सद्भाव को भंग कर सकता है। इसलिए, यह न्यायालय आवेदक को जमानत देने का इच्छुक नहीं है।
11. तदनुसार, जमानत प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।

05 जून, 2026

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



सी.एस./-

(अरुण कुमार सिंह देशवाल, न्यायमूर्ति)

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।